न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 59 / 2016

1 भगवानी पत्नी स्व. भागुराम
2 सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्री भागुराम
जाति मेघवाल निवासी ग्राम कैरू तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 प्रभाती पत्नी श्री पूर्णमल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सलामपुर तहसील झुन्झुनू जिला झुन्झुनू राज.।
2 कमला पत्नी श्री सुभाष जाति मेघवाल निवासी ग्राम चारण की ढाणी तन हमीरवास तहसील झुन्झुनू जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील वि. नि. उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
दिनांक 20.05.2016 मु.नं. 176 / 2012
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम एवं अन्तर्गत धारा 39
नियम 1 व 2 जा.दी. उनवानी प्रभाती आदि
बनाम भगवानी आदि।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नँवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 176/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेन्टस ने एक प्रार्थना पत्र 212 व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 एवं धारा 151 जा.दी. बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 25 , 50 व नये खसरा नम्बर 47, 111 वाके ग्राम कैरू का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अनावेदकगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार पिछले 15 वर्षो से है इससे पूर्व अपीलांटस के पिता व पति भागुराम खातेदार काश्तकार थे। अपीलान्टस के पिता व पति भागुराम को भी खातेदारी अधिकार विरासत में अपने चचरे भाई कुरड़ाराम के नाऔलाद फौत होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त हुए थे। कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का

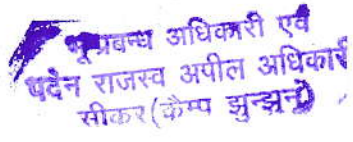

निस्तारण करते समय न्यायालय को तीन मुख्य बिन्दुओं पर विचार करते हुए तथा अपना व्यू दर्ज करते हुए निर्णय पारित करना होता है पहला आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला, दूसरा सुविधा का संतुलन तथा तीसरा अपूर्णीय क्षति। उक्त विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.05.2016 में उक्त प्रकार के किसी बिन्दू पर कोई विचारण नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.05.2016 में आदेश दिनांक 01.11.2012 के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को पुष्ट किये जाने का उल्लेख किया हैं उक्त आदेश दिनांक 01.11.2012 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश अनावेदकगण/अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिए बिना एक तरफा पारित किया गया था। जिसके पश्चात अनावेदक/अपीलान्टस द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है तथा जवाब में आवेदकगण द्वारा पेश तथ्यों को तर्कों सहित तथा दस्तावेजात से संपोषित करते हुए इन्कार किया गया है। आवेदकगण द्वारा अपने तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज ही पेश नहीं किए गये है। इसके बावजूद पुनः अपीलान्टस/अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा आवदेकगण का कोई मामला प्रथम दृष्टया साबित हुए बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आई साक्ष्य के विरूद्ध तथा कानून के विरूद्ध उपरोक्त निर्णय दिनांक 20.05.2016 पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदिका/रेस्पोडेन्टस द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आधार पर पेश किया गया है कि आवेदिकागण स्व. हणमान की पुत्रियां है। आवेदिकागण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि आवेदिकागण हणमान की पुत्रियां थी। अनावेदक/अपीलान्टस द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि स्व. हणमान का एक मात्र वारिस कुरड़ा था। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड से भी प्रथम दृष्टया यह साबित है कि स्व. हणमान का एक मात्र वारिस कुरड़ाराम था इसी आधार पर नामान्तकरण संख्या 166 दर्ज किया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिकागण का कोई प्रथम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दृष्टया मामला ना होते हुए भी अपनी कोई फाईण्डिंग दिए बिना वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश किया है। विचारण न्यायालय का उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित बिचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य विचारण न्यायालय में घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लंबित है। पक्षकारों के हितों को निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत होना शेष है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अपीलांट को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के लिए पाबंद किया गया है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को स्थगन से पाबंद किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उभयपक्ष को ताफैसला वाद विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.8.24 को सरे इज़लास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)